न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 180/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/00018)

1. सावित्री बेवाह लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. रामप्रताप पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. विद्याधर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. देवीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
5. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
6. सोना पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
7. प्रेमा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
8. आनन्दी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. पुरूषोतम लाल पुत्र धड़सीराम जाति ब्राहमण निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सरदारशहर,चूरू।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1.श्री ओम प्रकाश चाण्डक – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजेश बैद – रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 23–09–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 09.09.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुरूषोतमलाल ने अति.जिला कलक्टर चरू मे तहसीलदार सरदाशहर के निर्णय दिनांक 09.01.2012 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि पुरूषोतमलाल एव लक्ष्मीनारायण दोनो सगे भाई है इनके एक भाई डूंगरमल और था। वादगत कृषि भूमि खसर सं. 924/552 तादादी 18

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बीघा 03 बिस्वा रोही ग्राम जयसंगसर पर अपीलान्ट के पिता धड़सीराम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन उत्तराधिकार डूंगरमल के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की गई थी। और डूंगरमल के स्वर्गवास के पश्चात विरासतन उत्तराधिकार उसकी विधवा पत्नी लाडो देवी के नाम यह भूमि चली आ रही थी, जो यह संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि थी। पैतृक कृषि भूमि होने के कारण लाडो देवी को यह भूमि अन्य किसी के पक्ष में वसीयत करने का अधिकार नही था। अतः तहसीलदार सरदारशहर का आदेश दिनांक 09.01.2012 को निरस्त किया जावे। जिस पर अति. जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 09.09.2016 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 09.01.2012 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार सरदारशहर को रिमाण्ड कर लाडो देवी की वसीयत आदि की जांच कर पुनःविधि अनुसार निर्णय पारित करने के आदेश दिये। अति. जिला कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 09.09.2016 के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस के दौरान कहा कि खेत साबिका खसरा नम्बरान् 37, 552, 575, 803 तादादी क्रमशः 9.16 बीघा, 30.16 बीघा, 10 बीघा, 4.2 बीघा कुल तादादी 54 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम जयसंगसर तहसील सरदारशहर मे है। धड़सीराम वल्द खुमाराम के तीन लड़के थे। डूगरराम, लक्ष्मीनारायण, पुरूषोतमलाल। उक्त भूमि का बटवारा होकर तीनो के नाम 1/3 विरास्तन दर्ज हुई । हाल खसरा नं. 924/552 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा बतौर वारिस लाडो देवी बेवाह डूगरमल के नाम दर्ज हुई, जो स्व. डूगरमल की बेवा लाडो देवी की स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में आती है। लाडो देवी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पति/पिता स्व. लक्ष्मीनारायण के हक में रूबरू गवाहान दिनांक 01.08.2003 को लिखी। लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सरदारशहर में प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार सरदारशहर ने सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जांच एवं

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बयान गवाहान लिये व दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित करवाई जाकर उक्त भूमि की वसीयतन लक्ष्मीनारायण के नाम नामान्तकरण करने के आदेश दिये। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत रूप से इसे संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि बताकर अपील पेश की गई। बटवारा शुदा एव राजस्व रिकॉर्ड में तन्हा वसीयतकर्ता लाड़ो देवी के नाम स्वतंत्र खाते में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे पैतृक कृषि भूमि मानने की अहम कानूनी भूल की है। हिन्दु स्त्री की कोई भी सम्पति उसकी पूर्ण स्वामित्व की होती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अति. जिला कलक्टर चूरू की अपील में दो लिगल प्रश्न उठाये । पहला पैतृक सम्पति का एव दुसरा सुनवाई के लिए नोटिस जारी नही करने का। यह कृषि भूमि बटवारा होने के बाद जो लाडोदेवी के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुई है उसे लाडो देवी ने वसीसत की है, सारी भूमि की वसीसत नही की है, उसे वसीयत करने का अधिकार था। इस कारण यह पैतृक सम्पति में नही आती है। इसके अलावा लाडो देवी निस्तान थी। उसके प्रथम श्रेणी के कोई वारिस नही थे। रेस्पोडेन्ट लाडो देवी के देवर है। देवर को अलग से नोटिस नही दिया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं तहसीलदार सरदारशहर का आदेश यथावत रखा जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में DNJ 2008(SC) पृष्ठ 364, Hindu Sec Act 14, Air 2003 SC 3397, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि डूगरमल के स्वर्गवास के पश्चात जो यह भूमि लाडो देवी के नाम दर्ज हुई वह संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि थी,और पैतृक कृषि भूमि की वसीसत करने का उनको कोई अधिकार नही था। वसीसत केवल स्वअर्जित सम्पति की होती है। महिला को केवल भरण पोषण का अधिकार है, वह सम्पूर्ण भूमि की मालिक नही बनती है। तहसीलदार ने वसीसत के आधार पर सम्पति का अधिकार तय करने से पहले वास्तविक वारिसानो को नोटिस नही दिया ना ही सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिया। तहसीलदार सरदारशहर ने एक सार्वजनिक सूचना दैनिक अखबार राष्ट्रदूत में प्रकाशित करने का हवाला दिया

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है परन्तु अपीलान्ट के गांव में दैनिक अखबार राष्ट्रदूत नाम कोई अखबार नही आता है। रेस्पोडेन्ट सं.1 के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1994 पृष्ठ 742, RRD 1970 पृष्ठ 168, RRD 1978 NUC पृष्ठ 73, का न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपील में मुख्य विवाद वसीयत का है। क्या उक्त भूमि स्वअर्जित थी।

प्रस्तुत प्रकरण में यह द्वितीय अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जिसमे अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 09.01.2012 को अपास्त किया है तथा प्रकरण पुन तहसीलदार सरदारशहर को रिमाण्ड कर इन्तकाल सं. 254 दिनांक 15.02.1983 एव वसीयत लाडो देवी दिनांक 01.08.2003 आदि की जांच कर सम्बधित पक्षकारो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश दिये है। अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि लाडो देवी बेवा स्व. डूगरमल द्वारा की गई वसीयत स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में आती है, जबकि रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का मुख्य कथन यह कि लाडो देवी द्वारा जो वसीयत की गई है वो संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि थी तथा सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय 09.06.2016 में वसीयत को फर्जी धोषित नही किया है और ना ही वसीयत के संबध में कोई निर्णय पारित किया है। बल्कि मात्र यह निर्देश दिये है कि इन्तकाल एवं वसीयत आदि की जांच कर पुन निर्णय पारित करे, जो कि सरसरी जांच की श्रेणी में आती है। तथा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करते समय सरसरी जांच किये जाना विधि सम्मत है। रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार सरदारशहर में सभी पक्षो को सुनवाई एवं सबूत पेश करने का अवसर मिल जायेगा।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने से हुबहू चस्पा नही होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2016 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।